तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
18/3/18	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018"	
[illegible] पे. उप.	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत [illegible] (उपखण्ड) [illegible] किया जाता है।	
	[signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible]पुर (भीलवाड़ा)	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
797 / 2015 प्रार्थना पत्र	09.10.2015	18.06.2018

बद्री पिता रामनाथ जाट नि0 नासरदा तह0 शाहपुरा

---- प्रार्थी

बनाम

1–4 उगमा, हाथी, मगना, सोनी पिता भेरू गाड़री नि0 नासरदा तह0 शाहपुरा

2– तहसीलदार, शाहपुरा

---- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1– श्री बद्री जाट – प्रार्थी स्वयं

2– श्री उगमा जाट – विपक्षी नं0 1 स्वयं

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम नासरदा तहसील शाहपुरा मे प्रार्थी के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी भूमि आ0न0 676 रकबा 0.44 है0 है जिसका सहखातेदार प्रार्थी का सगा भाई छोगा पिता रामनाथ है किन्तु प्रार्थी व छोगा ने आपसी समझ से भूमियों का अन्तरण करते हुये आराजी संख्या 676 मे निहित छोगा को उसके हिस्से के बराबर अन्य भूमि दे देने से आ0न0 676 का प्रार्थी एक मात्र खातेदार व स्वामी है। प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि आ0न0 676 के पूर्व मे अप्रार्थीगणों के सहखातेदारी की कृषि भूमि आ0न0 477 रकबा 1.20 है0 स्थित है। प्रार्थी के आ0न0 676 मे आने जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी व उसके पूर्व खातेदार विपक्षीगणों की आराजी संख्या 477 की दक्षिणी मेर से आते जाते रहे है व इसी रास्ते का उपयोग करते हुये अपने खाते की कृषि भूमि मे जाकर कृषि कार्य करते है इस मार्ग के अलावा किसी भी प्रकार का कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने या कृषि कार्य करने कृषि उपकरण लाने ले जाने या फसल ले जाने के लिये नही है। प्रार्थी धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार रास्ते के लिये शुल्क अदा करने को तैयार है अतः प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 676 रकबा 0.44 है0 मे आने जाने के लिये विपक्षीगणों की आराजी संख्या 477 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी मेड़ पर 12 फिट की चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी के खेत तक उपलब्ध कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर 28.10.2015 विपक्षीगण 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 16.02.2016 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया एवं 29.03.2016 को न्याय हित मे एक और अन्तिम अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 27.09.2016 को उनका जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 06.06.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निस्तारण कैम्प मे नही करते हुये नियमित न्यायालय मे ही किया जावे। वक्त अभियान दिनांक 06.06.2016 को तहसीलदार, शाहपुरा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की मुताबिक रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक आमली कलां व तहसीलदार शाहपुरा के प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज आ0न0 676 व विपक्षीगणों की संयुक्त आ0न0 477 का मौका देखा गया। दोनो आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त दर्ज है। ग्राम नासरदा आ0न0 477 उगमा, हाथी, मगना, सोनी पिता भेरू गाडरी नि0 नासरदा के नाम दर्ज है। आ0न0 477 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थी की आ0न0 676 मे जाने हेतु 100 X 4 = 400 वर्गमीटर अर्थात 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दिये जाने की अनुशंषा की गई है। मौका पर्चा मे यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र आमली कलां पर दिनांक 18.06. 2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। मौके पर अप्रार्थी उगमा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उसकी आराजी के पास स्थित नाडी से होकर आता जाता है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः मौका पर्चा बनाया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया । केम्प के दौरान प्रस्तुत विपक्षी उगमा का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है क्योकि दो वर्ष पूर्व ही प्रकरण मे तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमे प्रार्थी की आराजी नं0 676 मे जाने आने हेतु विपक्षी की आ0न0 477 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया गया है। विपक्षीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नासरदा पटवार हल्का आमलीकलां तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 676 रकबा 0.44 है0 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की संयुक्त आ0न0 477 रकबा 1.20 है0 के दक्षिणी मेड के सहारे सहारे 100 X 4 = 400 वर्गमीटर अर्थात 0.04 है0 भूमि की प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि जमा कराये जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त राशि अप्रार्थीगणों को नियमानुसार भुगतान किया जावे। नजरी नक्शा प्रमाणित प्रति निर्णय का हिस्सा रहेगा।

आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र आमली कलां पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner